

गांधी : सिद्धांत और व्यवहार

Dr. Zarfshan Zaidi

Assistant Professor, Philosophy, M.S.J. Govt. College, Bharatpur, Rajasthan, India

सार

गांधी जी ने अपना जीवन सत्य, या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक-सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई थी। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधीजी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। यह दर्शन कई स्तरों आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक आदि पर मौजूद है। इसके अनुसार-आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में हैं। मानव स्वभाव को मूल रूप से सद्गुणी है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिये सक्षम हैं। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधीवादी दर्शन एक दोधारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधीजी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे- भगवद्गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया। टॉलस्टॉय की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव था। गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' से 'सर्वोदय' के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा। इन विचारों को बाद में "गांधीवादियों" द्वारा विकसित किया गया है, विशेष रूप से, भारत में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य लोगों द्वारा।

परिचय

सत्य और अहिंसा: गांधीवादी विचारधारा के ये 2 आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है, वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता - (नैतिक कानून और कोड) इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुँचाता है। सत्याग्रह: इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुँचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध-महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है। सर्वोदय- सर्वोदय शब्द का अर्थ है 'यूनिवर्सल उत्थान' या 'सभी की प्रगति'। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक "अंटू दिस लास्ट" पर पढ़ा था। [1,2]

स्वराज- हालाँकि स्वराज शब्द का अर्थ स्व-शासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिये स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज (स्व-शासन) से था और इसलिये उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिये स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

स्वतंत्रता से कहीं अधिक है, यह स्व-शासन है, आत्म-संयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। ट्रस्टीशिप- ट्रस्टीशिप एक सामाजिक-आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसोफिकल लिटरेचर और भगवद्गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। स्वदेशी: स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के 2 शब्दों का एक संयोजन है। 'स्व' का अर्थ है स्वयं और 'देश' का अर्थ है देश। इसलिये स्वदेश का अर्थ है अपना देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन ज्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है।

- स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रितता है।
- गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता (स्वराज) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था।

आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता

- सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं तथा यह आज भी मानव जाति के लिये अत्यंत प्रासंगिक है। [3,4]
- महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं जब कि लोग अत्याधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू की जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- दलाई लामा ने कहा, "आज विश्व शांति और विश्वयुद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है।" इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिये ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए।
- गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहाँ सभी की आवाज और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है।
- उनके अनुसार, लोकतंत्र ने कमजोरों को उतना ही मौका दिया, जितना ताकतवरों को।
- उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में अपनाया गया। साथ ही, राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका ज़ोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है।
- सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्त्व से गांधीवादी दर्शन बनता है और ये गांधीवादी विचारधारा के चार आधार हैं।

अहिंसा का विचार भारतीय दर्शन का प्रमुख तत्व रहा है। महाभारत, वेद, उपनिषद आदि में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्त्व है। गांधी जी ने 'अहिंसा के सिद्धांत' को प्राचीन भारतीय धार्मिक

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

ग्रन्थों, बाइबल के प्रवचनों तथा टॉल्स्टॉय की रचना-'The Kingdom of God is within You' से ग्रहण किया है। परन्तु गांधी जी ने इस सिद्धांत को एक व्यावहारिक रूप दिया है। गांधी जी ने इस सिद्धांत का प्रयोग देश को शांतिमय तरीके से स्वराज्य तक पहुंचाने के लिए किया है। इसलिए गांधी जी की महानता इसी विचार के कारण है।

गांधी जी का यह व्यावहारिक अनुभव रहा कि अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली होती है। अहिंसा ही प्रेम और आदर की जननी है। यह समानता के सिद्धांत को भी जन्म देती है। यह बुराई को अच्छाई से जीतने का गुण रखती है। सत्य रूपी साध की खोज अहिंसा रूपी साधन से ही हो सकती है। इसलिए यह सत्याग्रह का मूल मन्त्र है। सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य होता है। सत्य की तरह अहिंसा की शक्ति भी असीम होती है। जिस प्रकार हिंसा पशु जगत का नियम है, अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। [5,6]

अहिंसा का अर्थ –

गांधी जी के अनुसार अहिंसा से तात्पर्य किसी को न मारने से नहीं है। उन्होंने अहिंसा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है-“सृष्टि के सब प्राणियों को मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुंचाई जाए।” गांधी जी ने अहिंसा को आत्मिक तथा दैवीय शक्ति माना है। उनके अनुसार अहिंसा निषेधात्मक विचार न होकर एक सकारात्मक विचार है। जहां इसका तात्पर्य किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाना है, वहां दूसरों का भला करना भी इसका लक्षण है।

अहिंसा का ऐतिहासिक आधार –

गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन ऐतिहासिक आधार पर किया है। उनका कहना है कि आज तक का मानव इतिहास संघर्षों का इतिहास न होकर अहिंसा का इतिहास है। मनुष्य आदिम काल में तो नरभक्षी था। परन्तु ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। जब उसने मनुष्य का मांस खाना अनुचित समझा तो वह पशुओं का मांस खाने लगा। कुछ समय बाद उसने आखेट करे पेट पालने की पद्धति को छोड़ दिया। जब उसने खेती करके अपना पेट पालने की कला सीख ली तो वह खानाबदोश जीवन छोड़कर एक ही स्थान पर रहने लगा। अब वह पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें पालने लग गया। इससे गांव, नगर एवं राष्ट्र अस्तित्व में आए। इससे स्पष्ट है कि हिंसा का प्रयोग निरन्तर घट रहा था और अहिंसा का बढ़ रहा था। इसी कारण मानव जाति का भी विकास हुआ है। [7,8]

यदि कार्ल मार्क्स की संघर्ष की अवधारणा सत्य होती तो संसार न जाने कब का नष्ट हो गया होता। यद्यपि हिंसा को संसार से पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह कभी-कभी अपना रौद्र रूप दिखा देती है। आज जितने हिंसा के साधनों का विकास हो रहा है, अहिंसा के साधनों का भी उतना ही विकास हो रहा है। अतः मानव समाज निरन्तर अहिंसा की तरफ जा रहा है।

अहिंसा के रूप –

गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो रूप हैं-

1. नकारात्मक अहिंसा (Negative Non - Violence)

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

2. सकारात्मक अहिंसा (Positive Non - Violence)

नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति को वे कार्य नहीं करने चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं हैं। इसमें किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष की भावना के वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना शामिल है।

सकारात्मक अहिंसा का अर्थ अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध उदासीन बने रहना नहीं, बल्कि उसका सक्रिय किन्तु शांतिपूर्ण विरोध करना है। इसका अर्थ है-दूसरों के प्रति प्रेम भावना तथा उदारता का दृष्टिकोण रखना। यद्यपि गांधी जी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा नहीं थी। गांधी जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ देकर उसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया, इस सम्बन्ध में उन्होंने सकारात्मक अहिंसा के प्रयोग पर जोर दिया।[9,10]

अहिंसा के तत्व –

गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के अन्दर सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इसमें करुण की भावना का भी समावेश होता है। इसमें अहिंसावादी अपने प्रतिद्वन्द्वी के अनुचित कार्यों का विरोध शान्तिपूर्ण तरीके से करता है। इसके चार मूल तत्व हैं।

1. प्रेम - जिस तरह हिंसा का आधार विद्वेष होता है, उसी तरह अहिंसा का आधार प्रेम है। अहिंसावादी एक पिता की तरह अपने बुरे मित्र से भी प्रेम रखता है। जिस तरह पिता का यही प्रयास रहता है कि बुरा पुत्र बुरे काम करने छोड़ दे, उसी तरह अहिंसावादी व्यक्ति का भी यही प्रयास रहता है कि शत्रु भी बुराई छोड़ दे। अहिंसावादी व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर भी प्रेम के ब्रह्मशास्त्र से शत्रु का दिल जीतने का प्रयास करता है और उसे बुराई छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात् अहिंसावादी व्यक्ति बुराई से घृणा करता है, बुराई करने वाले से नहीं।

2. धैर्य - एक अहिंसावादी व्यक्ति कभी धैर्य नहीं छोड़ता। उसे यह विश्वास रहता है कि अहिंसा का ब्रह्मस्त्र कभी असफल नहीं हो सकता। भारी विफलताएं मिलने पर भी वह धैर्य नहीं छोड़ता और धैर्यपूर्वक अपने पथ पर अडिग रहता है। इसलिए धैर्य अहिंसा का मूलाधार है।

3. अन्याय का विरोध - अहिंसा निष्क्रियता, अकर्मण्यता का उदासीनता नहीं, बल्कि अन्याय या बुराई का प्रतिरोध करते रहना है। एक अहिंसावादी व्यक्ति सदैव बुराईयां खोजकर उनको समाप्त करने की दिशा में अग्रसर रहता है। वह कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करता। महात्मा गांधी ने कहा है-"अन्यायी के सामने झुकना या संसार की बुराई से मुंह फेरना अहिंसा नहीं है। [11,12]अहिंसा तो अन्याय, अत्याचार व बुराईयों को खोजकर उनसे संघर्ष करते रहना है।" एक अहिंसावादी व्यक्ति अन्याय व अत्याचार का सक्रिय परन्तु शान्तिपूर्ण विरोध करता है। इसके लिए वह हर दुःख सहन करता है।

4. वीरता - गांधी जी का कहना है कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मानसिक दृष्टि से भी सबल होना जरूरी है। अहिंसा कायरों का शस्त्र न होकर, वीरों का शस्त्र होती है। यह सबल, साहसी व बलवान व्यक्तियों का गुण है। अन्धकार और प्रकाश की तरह कायरता और अहिंसा में विरोध है। अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होते हुए भी कभी बल प्रयोग की नहीं सोच सकता। जो दण्ड देने की शक्ति होते हुए भी क्षमादान दे, वहीं अहिंसावादी हो सकता है। निर्बल व कायर की क्षमा कभी अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा में विश्वास रखने वाला आत्म-बल रूपी शास्त्र पर ही भरोसा करता है, उसे बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। उसकी आत्मा का बल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

अहिंसा के नियम –

महात्मा गांधी ने अहिंसा के पांच नियम बताए हैं-

1. अहिंसा में पूर्ण आत्मशुद्धि निहित है।
2. अहिंसा की शक्ति हिंसा करने वाले व्यक्ति के विचार की अपेक्षा उसकी सामर्थ्य के ठीक अनुपात में होती है।
3. अहिंसा, हिंसा से श्रेष्ठतर है।
4. अहिंसा में हार कभी नहीं होती।
5. अहिंसा का परम उद्देश्य अवश्यम्भावी विजय है।[13]

अहिंसा के पक्ष में तर्क –

महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक आधार पर अहिंसा को औचित्य पूर्ण ठहराया है। उनका कहना है कि अहिंसा, हिंसा से हर प्रकार से श्रेष्ठ है। उन्होंने हिंसा का समर्थन इन तर्कों के आधार पर किया है-

1. अहिंसा का नियम हिंसा के नियम से श्रेष्ठ एवं उच्चतर है तथा मानव-जगत का सर्वोच्च नियम है।
2. यह एक आत्मिक शक्ति है जिसका प्रयोग सभी कर सकते हैं।
3. यह स्वतः क्रियाशील होती है। इसके लिए हमें शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती।
4. अहिंसा का आत्मबल शत्रु पर अचेतन, अज्ञात एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और यह शस्त्र बल की तुलना में अधिक बलशाली होती है।
5. हिंसा की विफलता तथा अहिंसा की सफलता निश्चित है, क्योंकि अहिंसा प्रेम पर आधारित होती है। घृणा, घृणा को जन्म देती है, प्यार, प्यार को।

इस प्रकार गांधी जीने अहिंसा को हिंसा से अधिक प्रभावशाली माना है। उनका कहना है कि मनुष्य निरन्तर अहिंसा की तरफ अप्रसर है। अहिंसा की शक्ति एक आत्मिक शक्ति है। अहिंसात्मक लड़ाई तो नौजवान ही लड़ सकते हैं, लेकिन अहिंसा की लड़ाई प्रत्येक कमजोर व्यक्ति भी लड़ सकता है, बशर्ते वह कायर न हो। यह प्रेम पर आधारित होने के कारण भयंकर जंगली जानवरों को भी वश में करने की योग्यता रखती है। शस्त्र बल की कार्यवाही का परिणाम तात्कालिक होता है, किन्तु अहिंसा के शस्त्र का परिणाम अप्रत्यक्ष व स्थायी होता है। घृणा से प्राप्त वस्तु कभी स्थायी परिणाम नहीं दे सकती।

महात्मा गांधी ने कहा है-"आग आग से नहीं, पानी से शान्त होती है।" अहिंसा कुछ देर के लिए तो असफल हो सकती है, लेकिन यह स्थाई रूप से असफल नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अहिंसा के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए यह परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें सार्वभौमिकता का गुण होता है। यह किसी जाति विशेष की धरोहर नहीं होती। गांधी जी ने लिखा है-"यह आत्मा का गुण है, सबके लिए है, सब जगहों के लिए है, सब समय के लिए है।"

अहिंसा के सिद्धांत के अपवाद –

महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल समर्थक होते हुए भी कुछ आधारों पर हिंसा को उचित ठहराते हैं। गांधी जी का कहना है कि जीवन निर्वाह के लिए की गई हिंसा पाप नहीं होती। यद्यपि गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, लेकिन यदि वह किसी रोगी को ठीक करता है तो बछड़े का हक छीनना कोई हिंसा नहीं है। आमदखोर जानवरों को मारना कोई हिंसा नहीं है। यदि कुत्ता पागल हो जाए तो उसको मारना ही ठीक है। यदि कोई रोगी जब इस अवस्था में हो कि उसका ठीक होना असम्भव हो जाए तो उसके प्राण लेना कोई पाप नहीं है। गांधी जी ने स्वयं अपने आश्रमों के मरणासन्न बछड़े को जहर देकर मार दिया था। गांधी जी का

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

कहना है कि ऐसा उपाय तभी करना चाहिए, जब कोई अन्य उपाय शेष न रह जाए। इस प्रकार का हिंसापूर्ण कार्य हिंसा न होकर दयापूर्वक किया गया अहिंसक कार्य ही होता है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा अकर्मण्यता का सिद्धांत नहीं है। यह कर्मठता और गतिशीलता का दर्शन है। यह सत्य के लिए शाश्वत् संघर्ष है जो युगों से चलता आ रहा है। इस प्रकार गांधी जी ने कल्पना की बजाय अहिंसा के व्यावहारिक पहलू पर ही जोर दिया है। उन्होंने अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया है। [14]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी मानवता के सच्चे पुजारी थे। उनके अनुसार अहिंसा केवल एक दर्शन ही नहीं है बल्कि एक कार्य पद्धति है, हृदय परिवर्तन का साधन है। उन्होंने अपना अहिंसा का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया है। उन्होंने इस मानव हृदय की दिव्य ज्योति माना है जो राख से ढक तो सकती है, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। हिंसा में भी अहिंसा का सिद्धांत काम करता है। अहिंसा एक शाश्वत् विचार है, जिसका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। इतना होने के बावजूद भी गांधी जी के इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई हैं।

अहिंसा के सिद्धांत की आलोचनाएं -

महात्मा गांधी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों की आलोचना के प्रमुख आधार हैं-

1. अप्रासांगिकता - आलोचकों का कहना है कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत परमाणु युग में प्रासांगिक नहीं हो सकता, राष्ट्रीय सम्प्रभुत्ता व सीमाओं की रक्षा सशस्त्र सेनाओं के बिना नहीं हो सकती। आत्मा की शक्ति से ही शत्रु का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अहिंसा और सत्य राष्ट्रीय सम्प्रभुता की रक्षा की कोई गारन्टी नहीं दे सकते। अतः अहिंसा का सिद्धांत आधुनिक युग में अप्रासांगिक है।
2. काल्पनिक - गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे और इसी के आधार पर उन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी, इस बात में कम सच्चाई नजर आती है। स्वतन्त्रता के लिए किया गया संघर्ष हिंसा के अनेक प्रकरणों से भरा हुआ है। स्वयं गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में चौरा-चौरी कांड ने कई जानें ले ली थी। यह सिद्धांत सन्तों व महापुरुषों का सिद्धांत तो हो सकता है, साधारण लोगों के लिए नहीं। आधुनिक समाज अहिंसा की बजाय हिंसा पर आधारित होता जा रहा है। आज के समय में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उतने पहले नहीं थे, इसलिए गांधी जी द्वारा यह बात कहना कि व्यक्ति निरन्तर अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, कपोल मात्र प्रतीत होती है।
3. अहिंसा और सत्य पर्यायवाची नहीं है। सत्य को अहिंसा के अतिरिक्त अन्य विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। सत्य किसी देश, काल व सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है।
4. गांधी जी का यह कथन ठीक है कि अहिंसा हिन्दू धर्म का आधार है। लेकिन हिन्दू धर्म में अनेक युद्धों का समर्थन भी किया है। रामायण व महाभारत में अनेक नैतिक युद्धों का वर्णन मिलता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि हिन्दू धर्म में हिंसा तथा अहिंसा दोनों के लिए जगह है।
5. गांधी जी द्वारा अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर विश्व समस्याओं को हल करने की बात अवास्तविक व काल्पनिक हैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में समस्याओं का हल कुटनीति करती है, अहिंसा नहीं।

लेकिन उपरोक्त आलोचनों के बाद यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अहिंसा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने में गांधी जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यदि कहीं पर यह सिद्धांत असफल रहा तो गांधी जी ने इसके लिए स्वयं को दोषी माना। गांधी जी ने इस सिद्धांत के बल पर आध्यात्मिक मूल्यों को नष्ट करने वाले भौतिकवाद व हिंसा का विरोध किया और परमाणु युग में भी मानवता के लिए शांति का आधार पेश किया। यदि हम गांधी जी के इस सिद्धांत को अपना लें तो विश्व की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी और समाज की प्रगति का नया साधन मानवता की वेदना का नाश करेगा। [15]

विचार-विमर्श

राज्य समाज को बेहतर बनाने के मकसद से नीतियां नहीं बना रहा है, राज्य अधिकतम शोषण के मार्ग के रूप में नीतियों का निर्माण कर रहा है. पहचान का आधार इंसान और इंसानियत नहीं, चेहरे की बनावट, कपड़े, भाषा, धर्म हो गए हैं. इस माहौल में भीड़ को हिंसा के लिए ऊर्जा प्रदान की जा रही है. हाथों में रोजगार नहीं है, इसलिए हथियारों को पूरा अवसर मिल रहा है. शिक्षा की नीति का मकसद इंसानी मूल्यों को मज़बूत बनाना नहीं, बल्कि कौशल संपन्न दासों की जमात तैयार करना घोषित किया गया है. साम्प्रदायिकता और असहिष्णुता समाज का मूल चरित्र और स्वभाव नहीं है. ताकत, सत्ता और दमन की राजनीति ने इन्हें समाज में बोया और पाला पोसा है. अब जबकि समाज राज्य के नियंत्रण में आ रहा है, तब बदलाव बहुत कठिन होगा, क्योंकि अब राज्य पर ताकत और सत्ता की राजनीति का आधिपत्य स्थापित हो गया है.

भारत के इतिहास में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहा गया, नाम के व्यक्ति ने परतंत्र भारत में खुद अपनी भूमिका गढ़ी, स्वराज का सपना देखा और हर जतन करके आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हम उनसे असहमत हो सकते हैं, किन्तु गलत साबित नहीं कर सकते. हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत की बात है, व्यवहार की नहीं, किन्तु उस व्यक्ति ने जो जिया, वही कहा भी; इसी जीवन में एक तत्व रहा समानुभूति का. आज हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. समानुभूति का उत्पादन किसी कारखाने में नहीं होता. गांधी ने साबित किया कि इंसान का जीवन समानुभूति के निर्माण का एकमात्र कारखाना है.

हम बहुत कुछ खो चुके हैं. शिक्षा-समाज-सामाजिक पहल-सरकार में हमें इंसानियत और इन्साफ की नाड़ियां डालना थीं. कम से कम आज़ादी के बाद हमें यह मौका मिला था, जिसका उपयोग नहीं किया गया. सच तो यही लगता है कि हमें वास्तव में अपना स्वभाव विकसित करने की जरूरत थी, पर हमने अपने मूल स्वभाव को बहुत कमज़ोर कर लिया. सच यह भी है कि आर्थिक गरीबी चुनौती नहीं है, यह तो अवसर है. चुनौती है नागरिकता और मानवीयता के मूल्यों की गरीबी और उसके अभाव की. ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने पड़ोस के व्यक्ति, बच्चों की भूख हमारे पेट में मरोड़ पैदा नहीं करती? कैसे बच्चों के साथ दरिदगी का व्यवहार हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि पहाड़ों, नदियों, झरनों, दरख्तों के विनाश को हम अपना विकास मानने लगे हैं? ऐसा कुछ हुआ है, कि हम खुद अपने घात के लिए तैयार हो रहे हैं. हमारा होना, केवल हमारा होना नहीं होता; अतः हमें एक दूसरे के साथ जुड़े होने का अहसास होते रहना चाहिये. समानुभूति के व्यवहार हमें उस जुड़ाव को महसूसने का अवसर देते हैं. लेकिन हम समानुभूति के स्वभाव को खत्म करने की परियोजना चला रहे हैं.[14]

“एक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली सरीखे नेताओं के साथ गांधी जी भी थे. अधिवेशन में अपनी बात में मुहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को “मिस्टर गांधी” कह कर संबोधित किया. इस पर सभा में मौजूद लोगों ने विरोध किया और जिन्ना से महात्मा गांधी का संबोधन इस्तेमाल करने का दबाव डाला. मौलाना मोहम्मद अली ने भी ऐसी ही गुजारिश की. पर जिन्ना ने मिस्टर गांधी संबोधन का ही इस्तेमाल किया. सभापति ने भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की पर लोग अड़े रहे. बहुत शोरगुल होने लगा. स्थिति बेकाबू होने लगी. गांधी जी को इस स्थिति को देखकर दुःख हुआ. इसे उन्होंने जनता की “अंध भक्ति” माना. वे उठे और कहा कि मैं महात्मा नहीं हूँ, एक मामूली आदमी हूँ. जिन्ना साहब के विचारों की स्वतंत्रता में रुकावट डालकर आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते. दूसरों पर अपने विचार जबरन लादकर हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जब कोई आदमी शिष्ट और सभ्य भाषा में अपनी बात कहता है, तब तक हर शख्स को दूसरों के बारे में अपनी राय देने का अधिकार है”. परन्तु जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को विविधता और करुणा के बजाये महत्वता और उपयोगिता के आधार पर मापने लगता है, तब समाज और नीति में असहिष्णुता और हिंसा का समावेश होने लगता है. भारत की विलक्षणता उसकी विविधता में है, न कि एकरसता में. किन्तु आत्मघाती राजनीतिक स्वार्थी और उपभोगी स्वभाव पर आधारित आर्थिक विकास की नीतियों ने कमोबेश भारत के विविधता के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है.

हम मोहनदास करमचंद गांधी – महात्मा गांधी या बापू का 150वाँ जन्म दिवस मना चुके हैं. आयोजन और वर्तमान राजनेताओं का ‘स्व-प्रचार’ अभियान पूरा हो चुका है, किन्तु कहीं भी समानुभूति पर चर्चा नहीं हुई. जिस साल गांधी के अवतरण के 150 साल मनाए जा रहे थे, तब भी राजनीति साम्प्रदायिकता और वैमनस्यता का चरम खेल खेल रही थी.

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

मन के किसी कोने में अब भी महात्मा गांधी जीवित हैं और हमारी विचार-कर्म प्रक्रिया को अहिंसा, सहिष्णुता और समानुभूति के तत्व से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वर्तमान समाज को सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की ज़रूरत है. आज नीति और व्यवस्था बनाने वालों में ही 'समानुभूति' की भावना खत्म हो चुकी है. नीति बनाते समय उन्हें आंकड़े चाहिए होते हैं, एहसास नहीं. जबकि गांधी विचार व्यक्ति, समुदाय और धर्म में समानुभूति की व्याख्या करने वाला व्यावहारिक विज्ञान है.

एक बार सेवाग्राम में गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था. उनकी ताक़ीद थी कि एक आने का भी फ़िज़ूल खर्चा नहीं होगा और इस कार्यक्रम को गांधी जयंती के रूप में नहीं, बल्कि चरखा जयंती के रूप में मनाया जाए. वे सजग थे कि कहीं कोई ग़लत रीति-रिवाज़ समाज में दाख़िल न हो जाएँ. उस दिन प्रार्थना के वे विशेष प्रवचन करने वाले थे. इसके लिए बिलकुल सादा ऊंचा मंच बनाया गया था. मंच पर बैठ कर उन्होंने चारों तरफ़ देखा. उन्होंने देखा कि आश्रम में एक जगह पर घी का दीपक जल रहा है. उन्होंने पूछा कि इसे कौन लाया? बा ने कहा कि मैं लायी हूँ, गाँव से. बा सोच रही थी कि बापू ने यह प्रश्न क्यों पूछा? हिंदू धर्म में तो घी का दीपक लगा कर पति के सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करने की परंपरा रही है. गांधी जी ने कहा कि आज अगर सबसे बुरा काम हुआ है तो घी का दीपक जलाने का. मेरा जन्मदिन था तो घी का दीपक जलाया गया, पर सेवाग्राम के आसपास रहने वाले बेचारे लोगों को तो रोटी में चुपड़ने के लिए तेल भी नहीं मिलता और आज मैं आश्रम में घी का दीपक जलते देख रहा हूँ. आज शुभ काम करना चाहिए, पाप का नहीं.

गांधी जी किसान, मजदूर, महिलाओं और किसी भी अन्य व्यक्ति की नज़र, मन और आत्मा से जीवन को देखते थे. किसी भी लक्ष्य और उसे हासिल करने के माध्यम को चुनने के लिए नीति बनाने वालों में यानी राज्य व्यवस्था में यही चरित्र तो होना चाहिए. [13]

परिणाम

गांधीवाद के चार प्रमुख आयाम माने जाते हैं: सत्य, अहिंसा, स्वालंबन और ट्रस्टीशिप। गांधीवाद महात्मा गांधी के उन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों पर आधारित है जिनको उन्होंने सबसे पहले व्यवहार में प्रयोग किया तथा उनको व्यवहार में उपादेय पाने पर सिद्धान्त का रूप देकर सार्वजनिक किया। उदाहरण के लिए सत्य के प्रयोग नाम से महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन 1927 में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह गांधीजी का प्रमुख अस्त रहना है जिसने भारत को आजादी दिलाई।

स्वालंबन का प्रयोग भी गांधीजी ने पहले अपने आप पर किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वालंबन और ग्राम स्वराज की, का सिद्धान्त विकसित किया। चरखा, तकली, और खादी स्वालंबन के प्रतीक बन गए। गांधीजी का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को स्वालंबी बनाए। इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम पर जोर दिया। गांधीवाद का चौथा प्रमुख आयाम ट्रस्टीशिप है इस पर बहुत कम लेखन हुआ है। वर्तमान भारत के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है।

गांधीवादी अर्थशास्त्र इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले उनके प्रसिद्ध अनुयायी अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा ने किया था। उनके अनुसार गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का अवधारणा पर आधारित है जिसमें वर्ग को कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धान्त पर आधारित है। गांधीवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता जे.सी. कुमारप्पा ने मद्रास से अपनी स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने एक आलेख में प्रमाणों सहित यह सिद्ध किया था कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण अंग्रेज सरकार की शोषणवादी नीतियां हैं। जे.सी. कुमारप्पा की यह विशेषता रही है कि उन्होंने स्वयं जमीनी सर्वेक्षण करके अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तकें एवं आलेख लिखे। उन्होंने यंग इंडिया के संपादन में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में कार्य किया था।

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब 1903 में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। गांधीजी के ट्रस्टीशिप अर्थात् न्यासिता के सिद्धान्त के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है, पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है। गांधीजी का यह मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है, वह उसके पास धरोहर के रूप में है। महात्मा गांधी का कहना था कि पूंजीवाद के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम की महत्ता कम हुई है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

बेरोजगारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई को कमजोर किया है। अगर धनवानों ने अपनी धन-दौलत और उससे प्राप्त शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया और आम जनता को उसके हित में साझीदार नहीं बनाया तो निश्चित रूप से एक दिन हिंसक और रक्तंजित क्रांति हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था कि इन सारी समस्याओं का समाधान ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में निहित है।[15]

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी मानते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक सी नहीं होती है, कुछ लोगों की कमाने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ लोगों की कम होती है, इसलिए जिनके कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए किंतु अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यवसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए तभी बची हुई आमदनी जरूरतमंदों पर खर्च की जा सकेगी।

महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धान्त को बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने काल्पनिक आदर्शवाद निरूपित करके अव्यवहारिक करार दिया। अनेक लोग उनके ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते थे। किंतु गांधीजी को अपने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त समझाने के लिए बैठकें प्रारंभ की तथा उन्हें समझा-बुझाकर इसके परिपालन के लिए सहमत करवाने में बड़ी हद तक सफलता पाई। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से सहमत सैकड़ों उद्योगपतियों ने चैरिटेबल ट्रस्ट व फाउंडेशन स्थापित करके दर्जनों शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, तालाब का निर्माण करवाया। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का पालन करने वाले सैकड़ों उद्योगपतियों में परिवार सहित सादगीपूर्ण रहन-सहन अपनाने वाले जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का सबसे प्रिय उद्योगपति शिष्य माना जाता है। दूसरी ओर जमशेदजी टाटा ने 1903 से पहले ही ट्रस्टीशिप को व्यवहार में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था।

सवाल उठता है कि क्या आधुनिक भारत में जहां बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी विलासिता खर्च का न केवल प्रदर्शन करते हैं बल्कि मीडिया का उपयोग करके उसे प्रचारित भी करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या ट्रस्टीशिप को प्रासंगिक माना जा सकता है? वर्तमान में ये पूंजीपति कारपोरेट उद्योगपति बन गए हैं और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को कारपोरेट टैक्स में छूट पाने के लिए करते हैं। इस सबके बावजूद आज भारत में हजारों उद्योगपति ऐसे हैं जिन्हें महात्मा गांधी से मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया किन्तु वे चैरिटेबल फाउंडेशन और ट्रस्ट स्थापित करके सहर्ष अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा, देशी खेलों के विकास एवं लोक कल्याण कार्यों पर निरन्तर व्यय कर रहे हैं। प्रासंगिकता बताने के लिए जीवंत उदाहरण देना जरूरी है।

ट्रस्टीशिप अपनाने में आईटी उद्योग की प्रमुख कंपनी विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी का नाम उदाहरणीय है, जिन्होंने पिछले दिनों 53 हजार करोड़ रुपए मूल्य की अपनी आधी शेयर संपत्ति अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दी। यह फाउंडेशन मुख्यतः भारत के 6 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षकों की शिक्षण क्षमता निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

पश्चिम की विलासतापूर्ण दिखावे के युग में पूंजीपतियों में विलासिता के प्रदर्शन की होड़ लगी है। ऐसी स्थिति में आज देश के लगभग 5 प्रतिशत उद्योगपति स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का व्यवहार में प्रयोग समाज सेवा हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सिद्धान्त को व्यवहारिक माना जा सकता है तथा इसको आधुनिक भारत में प्रासंगिक कहा जा सकता है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

निष्कर्ष

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व मौलिक देन राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निःस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया। उनकी दृष्टि में धर्महीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप था। महात्मा गांधी ने राजनीति के प्रचलित अर्थ को नकारते हुए इसे नया रूप दिया। इसलिए वे राजनीतिक विचारक न होकर जीवन के कलाकार व धर्म के उपासक थे। उनके जीवन का उद्देश्य किसी राजनीतिवाद का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार एवं मोक्ष था। इसलिए उन्होंने धर्म को मानव जीवन की धुरी बनाया और उसे राजनीति के साथ अटूट रिश्ते के रूप में जोड़ दिया। [16]

उन्होंने छल-कपट पूर्ण राजनीति की निन्दा करते हुए इसे सर्प की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि धर्म के बिना इस राजनीति का कोई प्रयोजन नहीं है। यह प्राणी मात्र के लिए सुख का सच्चा साधन कदापि नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया है। महात्मा गांधी से पहले राजनीति धर्म और नैतिकता के सभी नियमों को ताक पर रखने वाले धूर्त, चालाक, अवसरवादी, विवेकशून्य राजनीतिज्ञों का रंगमंच मानी जाती थी। आम आदमी की दृष्टि में दूसरों को मूर्ख बनाना तथा धोखा देना ही राजनीति थी। महात्मा गांधीने राजनीति को सत्य और अहिंसा पर आधारित करके इसमें उच्च नैतिकता और धार्मिकता की भावना का समावेश किया। उन्होंने राजनीति के विकृत रूप के बारे में लिखा है- "मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ, उनमें से अधिकांश छिपे वेश में राजनीतिज्ञ हैं। किन्तु राजनीतिज्ञ का चोला धारण करने वाला मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ।" उन्होंने राजनीति के विकृत रूप अर्थात् धर्महीन राजनीति के बारे में आगे कहा है- "यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ, तो इसका कारण यही है कि राजनीति हम सबको सर्प के समान घेरे हुए हैं, जिससे कोई चाहे कितनी ही चेष्टा करे, बाहर नहीं निकल सकता, मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म का समावेश करना चाहता हूँ" इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने राजनीति में हिस्सा, उसे जनसेवा का साधन बनाने के लिए ही लिया। उन्होंने जीवन भर राजनीति में ऐसे प्रयोग किए, जो जन-कल्याण को बढ़ावा देने वाले थे।

गांधी जी का मानना था कि धर्म समाज के प्रत्येक पक्ष सम्बन्धित हैं। इसी तरह राजनीति भी प्रत्येक क्रिया-कलाप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित करती है। यदि इन दोनों का मेल कर दिया जाए तो इनसे बढ़कर जन कल्याण का साधन अन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए वे धर्म से अलग राजनीति का कोई महत्व नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा है- "मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीति धर्म के अन्तर्गत है। धर्म से विमुख राजनीति मृत्यु का फन्दा है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है।" गांधी जी का कहना है कि जो लागे कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। गांधी जी के अनुसार धर्म से राजनीति को अलग करना मानवता की हत्या करने के समान है जो धार्मिक रुचि रखते हों तथा जिनमें सत्य तथा ईश्वर की खोज करने की लगन हो। इसी कारण से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया और आजीवन सत्य और ईश्वर की खोज में लगे रहे।

गांधी जी एक महान कर्मयोगी थे। उनका राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के पीछे मूल कारण नैतिकता के दोहरे मापदण्डों को समाप्त करना था। उनकी दृष्टि में राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी, इसीलिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश का अर्थ सत्य और न्याय की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना माना। इसी कारण गांधी जी ने राजनीति व धर्म को स्वीकार किया। उनका मानना था कि आज तक भारत के पिछड़ने का कारण राजनीति से धर्म को पृथक रखना ही था, उनका मानना था कि प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्य किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने लिखा है- "सारी मानव जाति से अभिन्नता ही मेरा धर्म है और मेरी राजनीतिक गतिविधि, उस धर्म पर आचरण करने का ढंग, मनुष्य की गतिविधियों के क्षेत्र को आज विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही सामाजिक, आर्थिक एवं शुद्ध आर्थिक कार्यों को एक-दूसरे से विभक्त करने वाली स्पष्ट सीमा रेखाएं ही खींची जा सकती हैं।" इस प्रकार गांधी जी ने राजनीति व धर्म को एक सिक्के के दो पहलू मानकर, राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। उनकी दृष्टि में धर्म और राजनीति के बीच वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा में होता है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 12, December 2016

इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिक सिद्धांततौर पर ही नहीं किया बल्कि उसे व्यावहारिक स्तर पर भी लागू किया उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों-आस्तिकता, अद्वैत की कल्पना, समस्त जगत में एक सत्ता का होना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का समावेश राजनीति में करके उसे नया रूप दिया है अर्थात् गांधी जी का यही सबसे महान कार्य है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है।[17]

संदर्भ

1. आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.८२ .
2. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.८९ .
3. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.१०५ .
4. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.१३१ .
5. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.१७२ .
6. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पीपी .२३० -३२ .
7. ↑ हरिभाउ उपाध्याय ने बापू कथा के नाम से उनके अपशेष जीवन काल १९२० से १९४८ तक की घटनाओं का संकलन किया है जिसे सर्व सेवा सन्ध वाराणसी द्वारा गांधी संवत्सरी वर्ष १९६९ ई में प्रकाशित किया है।
8. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.२४६ .
9. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पीपी .२७७ - ८१ .
10. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पीपी२८३-८६
11. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.३०९
12. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.३१८ .
13. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.४६२ .
14. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पीपी .४६४ - ६६ .
15. ↑ आरगांधी, पटेल : एक जीवन, पी.४७२ .
16. ↑ विनय लाल .' हे राम ': गांधी के अंतिम शब्दों की राजनीति Archived 2004-06-04 at the Wayback Machine ह्यूमेन ८, संख्या. १ (जनवरी २००१): पीपी३४ - ३८ .
17. ↑ "गांधी जी की राख को समुद्र में आराम करने के लिए रखा गया" Archived 2008-12-07 at the Wayback Machine The Guardian (The Guardian), १६ जनवरी २००८